न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00115 (115/2019) 225 आरटीएक्ट
जगदीश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जोड़कियॉ तहसील व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. केसराराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी जोड़कियॉ तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रूकमादेवी पत्नी गुरदयाल जाति जाट निवासी जोड़कियॉ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. रामकुमार पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी जोडकियॉ तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजाराम पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ
5. संदीप पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट्स

विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2016 व संशोधन आदेश दिनांक 10.01.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र. सं. 260/2017 बअनवानी जगदीश आदि बनाम केसराराम आदि
श्री सुरेन्द्र झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री दलीप सारस्वत अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5
श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:– 14.10.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागन हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की चक नं. 6 के.के.डब्ल्यू खाता संख्या 62/130 के प. नं. 215/214 मु. नं. 45 के किला नं. 1 ता 10 के मध्य पश्चिम से पूर्व दो दो बिस्वा चौड़ाई व एक बीघा लम्बाई का रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। दिनांक 08.05.2017 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के अनुतोष में संशोधन करने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.05.2018 के द्वारा रास्ता स्वीकृत कर दिया। रास्ता स्वीकृत करने के उपरान्त दिनांक 10.01.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। यह प्रार्थना–पत्र भी स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.01.2019 को पूर्व के मूल आदेश दिनांक 16.05.209 में संशोधन करते हुए प. नं. 215/214 के स्थान पर प. नं. 216/214 किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही विधि के प्रावधानों से हटकर की गई है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा कोई सम्मन नहीं दिया गया। अपीलार्थी मनोरोग से ग्रसित है तथा अपीलार्थी की याददास्त मनोरोग के कारण काफी कमजोर हो गर्ठ है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी डाक्टर से उपचार ले रहा ळै व इलाज निरन्तर जारी हैं। अपीलार्थी कम पढालिखा होने व उपने मानसिक रोगों के कारण दस्तावेजों की भलीभांति समणने की शक्ति नहीं होने से मुकदमें में प्रभावी एवं सकिय रूप से पैरवी नहीं कर पाया। एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित करने से अपीलार्थी अपने जवाब एवं सुनवाई के अधिकार से वंचित हुआ है व अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प. नं. 215/214 के मु. नं. 44 के किला नं. 5 व 6 में रास्ता मांगा गया है जो अपीलार्थी का नहीं फिर जिसका संशोधन राजस्व कैम्प में प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के द्वारा संशोधन किया गया जिसमें संशोधन चाहा गया कि प. नं. 215/214 के किला नं. 1 व 10 के मध्य पूर्व से पश्चिम में रास्ता चाहा गया जिस पर अपीलार्थी को बिना सुने ही राजस्व कैम्प में निर्णित कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण के द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में चाहा गया अनुतोष भी अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता नहीं है क्योंकि प. नं. 215/214 का किला नं. 1 व 10 अपीलार्थी का नहीं है।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.05.2018 को पत्थर नं. 215/214 के किला नं. 1 व 10 में रास्ता मन्जूर किया था जो अपीलार्थी का नहीं था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायलय ने धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2019 को स्वीकार कर पत्थर नम्बर 215/214 के स्थान पर प. नं. 116/214 अंकित करने में भूल की है जिस कारण से भी उपरोक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। पूर्व में जो रास्ता स्वीकृत किया गया था वो अपीलार्थी की भूमि का नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया गया है लेकिन पटवारी की रिपोर्ट लेते समय अपीलाण्ट को सूचित नहीं किया गया। पटवारी रिपोर्ट मनमानी एवं एकतरफा है। संशोधन आदेश से अपीलाण्ट की भूमि के दो टुकड़े हो गये हैं। अपीलाण्ट के पास बहुत कम भूमि है जिसके द्वारा परिवार का पालन पोषण बहुत मुस्किल से होता है। अपीलाधीन आदेश उचित नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2018 (रेव) पेज 36 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलण्ट को अपीलाधीन निर्णय का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर पैरवी की है जिस कारण अपीलाण्ट का यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान उसे पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर हुआ व सम्मन पर उसकी तामील नहीं हुई, कतई मिथ्या कथन हैं। अपीलाण्ट जब स्वयं यह स्वीकार करता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.2017 पर उसकी उपस्थिति बाबत इन्द्राज है तो इससे अन्यथा कहने से अपीलाण्ट विवर्जित है। अपीलाण्ट अपनी लापरवाही व उपेक्षा को बहानेबाजी के जरिये छुपाना चाहता है एवं न्यायालय को गुमराह करना चाहता है। अपीलाण्ट ने कतई मिथ्या कथन किये हैं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है। अपीलाण्ट के पक्ष में डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (15) 2008 पेज 374, आरआरटी 2001 (2) पेज 855, आरआरडी 1997 पेज 349 आरआरटी 2017 (1) पेज 117, आरआरटी 2017 (2) पेज 981, आरआरटी 2018 (2) पेज 1193 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपील के एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 62/130 के प. नं. 215/14 मु. नं. 45 के किला नं. 1 व 10 में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होने पर दिनांक 22.11.2017 जगदीश रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी उपस्थित हुआ उसके बाद वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। दिनांक 02.02.2018 की आदेशिका में अंकित है कि अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं कार्यवाही एकतरफा की जाती है। पत्रावली में उसके बाद कुछ तारीखें पड़ी और दिनांक 08.05.2018 को प्रार्थी ने आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना–पत्र के द्वारा कुछ संशोधन के साथ धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र के अनुतोष में प. नं. 215/214 के स्थान प. नं. 216/214 संशोधित करवाया लिया और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश भी प्रार्थना–पत्र के प. नं. 215/214 के अनुसार पारित किया गया। यह बात सही है कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया था लेकिन उसने देखा कि रास्ता प. नं. 215/214 में से मांगा जा रहा है जो उसकी भूमि नहीं है इसलिए उसके द्वारा प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली गई। उसी अनुसार निर्णय होता तो वह प्रभावित नहीं होता लेकिन निर्णय होने के उपरान्त दिनांक 10.01.2019 को आदेश में प. नं. 215/216 के स्थान पर प. नं. 216/214 संशोधित करने पर वह आदेश से प्रभावित हो गया क्योंकि प. नं. 216/214 उसकी भूमि है, इसलिए दिनांक 10.01.2019 को धारा 151 व 152 सपीसी के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित किये जाने जाने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि स्वीकृत रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में विचार कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 एवं 10.01.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण स्वीकृत रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में विचार कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:37:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: